प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **53/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

Punit Kalal Add: Parsola, Dhariyawad, Sultana, Pratapgarh, Raj.

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा, उदयपुर

.....प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 28-04-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329244413933761 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 24.02.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 1195523695 दिनांक 03.04.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/53/25/339–40 दिनांक 3.04.2025 से लिखा गया।

सहायक लोक सूचना अधिकार एवं उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा द्वारा जरिये पत्रांक सू. अ./2025/605 दिनांक 28.04.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक सूचित किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में उपखण्ड कार्यालय गोगुन्दा द्वारा कलाल(टाक) के लिए कितने जाति प्रमाण पत्र(केन्द्र) जारी किये गये के संबंध में सूचना चाही गई थी। उक्त सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्रांक 599 दिनांक 28.04.2025 से अपीलार्थी को कार्यालय में उपस्थित होकर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन कर सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा द्वारा न्यायालय में प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है। साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा को निर्देशित किया जाता है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्रों का नियमानुसार निश्चित समयावधि में निस्तारण करें।

निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28-04-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर